प्रपत्र - I(A)

प्रज्ञा केन्द्र

आवेदन का प्रपत्र

(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण–पत्र हेतु)

1	आवेदक/आवेदिका का नाम :–					
2	आधार संख्या (यदि हो तो) :–					
3	मोबाईल नं0 (यदि हो तो) :–					
4	जन्म तिथि :–	5	लिंग	पुरूष( )	महिला ( )	ट्रांसजेंडर ( )
6	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (उल्लेख करें) :–	7. उपजाति :–				
8	धर्म :–					
9	आवासीय पता :–					
(क)	स्थाई पता :– गाँव/मुहल्ला ..... प्रखण्ड ..... डाकघर ..... थाना ..... अनुमण्डल ..... जिला ..... पिन ..... राज्य					
(ख)	वर्त्तमान पता :– गाँव/मुहल्ला ..... प्रखण्ड ..... डाकघर ..... थाना ..... अनुमण्डल ..... जिला ..... पिन ..... राज्य					
10	पिता का नाम :–					
11	पिता की जाति :–					
12	माता का नाम :–					
13	पति का नाम :–					
14	पति की जाति :–					
15	केन्द्र की सूची में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का क्रमांक एवं संकल्प संख्या (केन्द्र सरकार के प्रयोजनार्थ प्रमाण पत्र हेतु)	क्रमांक–..... संकल्प सं0–.....				
16	झारखण्ड राज्य की सूची में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का क्रमांक एवं संकल्प संख्या (राज्य सरकार के प्रयोजनार्थ प्रमाण पत्र हेतु)	क्रमांक–..... संकल्प सं0–.....				
17	**आव्रजित श्रेणी के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के मामले में** मूल राज्य की सूची में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का क्रमांक एवं संकल्प संख्या	क्रमांक–..... संकल्प सं0–.....				
18	**आव्रजित श्रेणी के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के मामले में** पैतृक राज्य के द्वारा पिता को निर्गत प्रमाण पत्र संख्या :– प्रमाण पत्र निर्गत करनेवाले पदाधिकारी का पदनाम :–					

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी में सत्य है। अगर सूचना गलत पायी जाती है तो इसके आलोक में प्राप्त जाति प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त मेरा नियोजन/नामांकन/आरक्षण से प्राप्त अन्य सुविधाओं को रद्द करते हुए धारा 193 भा०द०वि० एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत् कार्रवाई की जा सकती है।

पिता/माता का हस्ताक्षर
(पिता/माता का नाम :–_____)
(आवेदक के अवयस्क रहने की स्थिति में)

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर

Downloaded from pragyakendra.in

प्रपत्र - II

स्वघोषणा पत्र

स्वयं के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II) प्रमाण पत्र हेतु

मैं ..... पिता .....झारखण्ड राज्य का/की स्थाई निवासी हूँ और मैं/मेरे पूवर्ज दिनांक–10.08.1950(अ॰ज॰)/06.09.1950 (अ॰ज॰ज॰)/10.11.1978 (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग) के पूर्व से झारखण्ड राज्य की भौगोलिक सीमा में अवस्थित पते–गाँव/मुहल्ला _____ प्रखण्ड _____ डाकघर _____ थाना _____ अनुमण्डल _____ जिला _____ पिन कोड _____ राज्य _____ निवासित हूँ/रहे हैं।

अथवा,

मैं ..... पिता ..... राज्य ..... का/की मूल निवासी हूँ और मैं/मेरे पूर्वज व्यवसाय/पेशा/ आजीविका/अन्य प्रयोजन हेतु आव्रजित होकर झारखण्ड राज्य में वर्ष ..... से लगातार निवासित हूँ/है।

1. मैं भारत का/की नागरिक हूँ।
2. मेरा आधार नं0 (यदि हो तो) :–
3. मेरा मोबाईल नं0 (यदि हो तो) :–

4. मैं गाँव/मुहल्ला _____ प्रखण्ड _____ डाकघर _____ थाना _____ अनुमण्डल _____ जिला _____ पिन कोड _____ राज्य _____ के पते पर साधारणतः निवास करता हूँ।

5. मैंनें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) कोटि की उपजाति _____ के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन समर्पित किया है, जो कि झारखण्ड राज्य में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) कोटि के रूप में सूचीबद्ध है।

6. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैं, मौजा _____ खाता संख्या _____ प्लॉट संख्या _____ पंचायत/वार्ड _____ के खतियानी रैयत _____ का/की _____ हूँ।
खतियानी रैयत का नाम _____ (हाल सर्वे/साबिक सर्वे*) सर्वे वर्ष :–

↓ प्रथम पीढ़ी _____

↓ द्वितीय पीढ़ी _____

↓ तृतीय पीढ़ी _____

↓ चतुर्थ पीढ़ी _____

* जो लागू न हो उसे काट दें।

7. मैं/मेरा परिवार झारखण्ड राज्य में स्थायी तौर पर निवासित है अथवा भूमिहीन है तथा मुझे देश के किसी अन्य राज्य से आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है।

Downloaded from pragyakendra.in

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी में सत्य है। अगर सूचना गलत पायी जाती है तो इसके आलोक में प्राप्त जाति प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त मेरा नियोजन/नामांकन/आरक्षण से प्राप्त अन्य सुविधाओं को रद्द करते हुए धारा 193 भा०द०वि० एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत् कार्रवाई की जा सकती है।

मुखिया/पंचायत समिति का सत्यापन एवं हस्ताक्षर	आवेदक के पिता/पति का हस्ताक्षर	आवेदक का हस्ताक्षर

नोट :–

1. इस प्रपत्र का प्रयोग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के राज्य/केन्द्र प्रयोजनार्थ सहित आव्रजित श्रेणी के प्रमाण पत्र हेतु किया जा सकेगा।
2. इस प्रपत्र का प्रयोग अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के लिए भी किया जा सकेगा। परन्तु इस कोटि के क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र एवं आव्रजित श्रेणी का प्रमाण पत्र के लिए अलग प्रपत्र में स्वघोषणा पत्र समर्पित किये जा सकेंगे।

pragyakendra.in

Downloaded from pragyakendra.in